CNR. No. UPBU16 002246 2026

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, बुलन्दशहर।

विविध वाद संख्या 121/2026
मु०अ०सं० 258/2024
लोकेश कुमार बनाम आशू उर्फ आशीष।
अर्न्तगत धारा 281, 125(b), 324(4), 324(5) भा०दं०सं०।
थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर।

दिनांकः- 20.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं० 11A मय शपथपत्र 12B प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त एफ.आई.आर. प्रार्थी ने करायी थी जिसमें पुलिस ने समझौता करा दिया था तथा विवेचक द्वारा उपरोक्त वाद में विवेचना उपरान्त अन्तिम आख्या प्रस्तुत की है। प्रार्थी उक्त एफ.आर. को स्वीकार कराना चाहता है। प्रार्थी द्वारा एफ.आर. स्वीकार कर मुकदमा समाप्त किये जाने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विवेचक द्वारा उपरोक्त मुकदमे में अन्तिम आख्या न्यायालय में इस आशय की प्रेषित की गयी है कि वादी व प्रतिवादी में आपसी समझौता होने तथा वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर साक्ष्य के अभाव में मुकदमा उपरोक्त की विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं० 25/2024 समाप्त की गयी।

उक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा उपरोक्त मुकदमे में विवेचना उपरान्त विवेचक द्वारा लगायी गयी अन्तिम आख्या से संतुष्ट है तथा उक्त वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है और ना ही अंतिम आख्या पर कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अन्तिम आख्या स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 11A स्वीकार कर उक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं० 25/2024 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(प्रियंवदा चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।
J.O.Code- U.P. 3303

Digitally signed by PRIYAMVADA CHOWDHARY
Date: 2026.07.16 01:14:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court